

JUSTIFICATION CERTIFICATE

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु 100 नाली अर्थात 2.00 हे० भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव ।

परियोजना का औचित्य

मा० अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी एवं पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है, उक्त शासनादेशों की प्रतियां प्रस्ताव में संलग्न की जा रही है।

परियोजना का वन पंचायत भूमि में निर्माण किये जाने का औचित्य निम्नवत है -

- ❖ मा० अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विद्यानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पालीटेक्निक संस्थान के निर्माण हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, उक्त स्वीकृति के अनुसार पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (कुण्डादानकोट, तल्लानागपुर) स्थान में ही किया जाना है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त भूमि भी तलाशी गयी किन्तु क्षेत्र के आस-पास ग्राम स्तर पर निजी भूमि, राजस्व भूमि, वन पंचायत भूमि इस परियोजना हेतु उपर्युक्त एवं उचित नहीं मिल पाई जिस कारण वन भूमि (सिविल सोयम भूमि) में ही उपर्युक्त एवं उचित एवं निकटवर्ती भूमि में ही पालीटेक्निक का निर्माण करवाया जाना अपरिहार्य है। (शासनादेश संलग्न व छाया प्रति संलग्न)
- ❖ जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजी भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र० स०	तहसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल, (हैक्टेयर०मे०)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)
01	रुद्रप्रयाग	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	जखोली	667.889	3367.723	4351.768	
3	ऊखीमठ	10413.495	984.380	4758.030	
4	बसुकेदार	909.228	2093.053	2541.564	
5	कुल क्षेत्रफल जिला-रुद्रप्रयाग	19454.648	15297.696	20308.344	

उक्त परियोजना हेतु तल्लानागपुर क्षेत्र में निजी स्तर पर, ग्राम क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में उपयुक्त एवं उचित भूमि उपलब्ध न होने के कारण ही परियोजना का निर्माण चयनित स्थल कुण्डादानकोट में किया गया । (प्रमाण पत्र संलग्न)

- ❖ जनपद का लगभग 80 प्रतिशत भू-भाग वन भूमि की परिधि में आता है एवं जिस पर वन अधिनियम लागू होता है, बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु अन्य कोई भूमि उपलब्ध न होने के कारण उक्त

सिविल सोयम भूमि चयन अपरिहार्य एवं औचित्यपूर्ण है। जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत गठित कर, स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

- ❖ वन विभाग, राजस्व विभाग व प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा भी प्रस्तावित भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें उपलब्ध भूमि पॉलीटेक्निक के निर्माण हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है। (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ A.I.C.T.E. के मानकानुसार ग्रामीण स्तर पर पालीटेक्निक की स्थापना हेतु कुल 1.62 (02 Approx) है० या उससे अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। चूंकि चयनित स्थल में 02 है० भूमि की उपलब्धता एक Patch में नहीं हो पाई इसलिए मानको को पूर्ण करने हेतु उक्त भूमि कुल तीन अलग-अलग Patches में चयनित की गयी है।

TOTAL AREA (IN HECTARE)	PATCH NO I	PATCH NO II	PATCH NO III	Total
	1.10	0.04	0.860	2.00

उक्त प्रस्तावित कुल 2.00 है० भूमि का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ले-आउट प्लान में दर्शाया गया है।

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित भूमि के तीनों Patches आस-पास है, जिनकी पारस्परिक दूरी Patch wise निम्नवत है

क्र०स०	Patches का विवरण	छूरी
01	PATCH NO I से PATCH NO II	लगभग 200 मीटर
02	PATCH NO II से PATCH NO III	लगभग 1.3 किमी०
03	PATCH NO I से PATCH NO III	लगभग 1.0 किमी०

- ❖ संस्था निर्माण हेतु चयनित तीनों Patches अधिक दूरी पर स्थित नहीं है। चूंकि Patch I में Building I का निर्माण Phase I में होना है। तथा Patch III में Building II का निर्माण कार्य प्रस्ताव के Phase II में होना है। अतैव Patch III की भूमि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु उपर्युक्त एवं उचित है, Patch I व Patch II के आस-पास 1 किमी० की रेंज में Patch III हेतु उपर्युक्त एवं उचित संसाधनों युक्त भूमि उपलब्ध नहीं है। उपयुक्त एवं उचित भूमि की उपलब्धता उपरोक्त 03 Patches में ही सम्भव हो पाई है।
- ❖ पूर्व में Patch I (1.10 है०) Building I (1120 Sqm) पर त्रुटिवश निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही निमाण कार्य रोक दिया गया था। आतिथि तक निमाण कार्य पूर्णतः रुका हुआ है। पालीटेक्निक का निर्माण उ०प्र०रा०निर्माण निगम लि० के द्वारा किया जाना है, संस्था द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी पत्र निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु जारी नहीं किया गया है। निर्माणकारी संस्था द्वारा बिना किसी पूर्व आदेश एवं सूचना के ही patch I में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था, मामला संज्ञान में आने पर तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा भी बार-बार निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर भूमि हस्तांतरण के पश्चात ही निर्माण कार्य शुरू किये जाने हेतु कहा गया, वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्युमिनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23 अक्टूबर 2015 के द्वारा संस्था को बिना भूमि हस्तांतरण के निर्माण कार्य कराये जाने का स्पष्टीकरण मांगा गया है एवं तत्कालीन प्रधानाचार्य द्वारा निर्माण एजेन्सी को पत्र लिखकर वनविभाग के द्वारा लगाये गए आपत्ति से अवगत कराया गया एवं तत्काल ही निर्माण कार्य रोकने को कहा गया। वन विभाग के द्वारा आपत्ति लगाये जाने के पश्चात कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाया गया एवं आतिथि तक निर्माण कार्य रुका हुआ है। (छायाप्रति संलग्न)

- ❖ चयनित भूमि के आस-पास उचित एवं उपयुक्त गैर वन भूमि उपलब्ध नहीं है एवं आस-पास के ग्राम स्तर पर, राजस्व स्तर पर, निजी स्तर पर भूमि की तलाश की गई, परन्तु निकटवर्ती स्थलों में पालीटेक्निक की स्थापना हेतु उचित एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी। आस-पास के 4 ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरित उपयुक्त निजी भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र, राजस्व भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र इस समबन्ध में संलग्न किये गये हैं। (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु कुण्डादानकोट क्षेत्र में अन्य कोई निजी भूमि उपलब्ध न होने के कारण सिविल एवं सोयम भूमि की स्वीकृति लेने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं है। जिला प्रशासन द्वारा चोपता के निकट ही ग्राम कुण्डादानकोट नामक स्थान पर भूमि का चयन किया गया है, जो कि वर्तमान में वन पंचायत का हिस्सा है तथा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग की कुण्डादानकोट राजि के अन्तर्गत आता है।
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु आस-पास के ग्राम स्तर पर कोई निजी भूमि उपलब्ध नहीं है। (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण हेतु राजस्व क्षेत्र में गैर वानिकी स्तर पर कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ उक्त चयनित वन भूमि मोटर मार्ग के किनारे स्थित है एवं साथ ही बिजली, पानी की भी उपलब्धता है। जिससे पालीटेक्निक में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं, अध्यापकों एवं स्टॉफ को यातायात, बिजली एवं पानी की भी सुविधा प्राप्त होगी।
- ❖ चयनित स्थल का भू-वैज्ञानिक द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा भी प्रस्तावित स्थल को पालीटेक्निक के भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त पाया गया। (छायाप्रति संलग्न)
- ❖ चयनित सिविल सोयम भूमि पालीटेक्निक के निर्माण हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित करने में समस्त ग्रामवासी भी सहमत है।
- ❖ पालीटेक्निक का निर्माण चोपता (तल्लानागपुर) स्थान में ही किया जाना है, जिससे इसके आस-पास के छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिलेगा, एवं रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
- ❖ पालीटेक्निक के निर्माण होने के पश्चात उपरोक्त वन भूमि विकसित होगी, जिससे वन्य क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
- ❖ उपरोक्त सभी कारणों से चयनित स्थल पालीटेक्निक के निर्माण के लिए अति उपयुक्त पाया गया है।

ह0 /

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

प्रभागीय वन अधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

ह0 /

प्रधानाचार्य,
राजकीय पालीटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग
राजकीय पालीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण पत्र

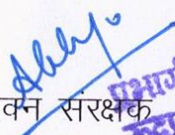
प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत कुल वन पंचायत भूमि, कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि, कुल निजी भूमि तथा कुल आरक्षित वन भूमि के क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत है ।

क्र० स०	तहसील	कुल वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)	कुल राजस्व व सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)	कुल आरक्षित वन का क्षेत्रफल (हैक्टेयर०मे०)
01	रुद्रप्रयाग	7464.036	8852.540	8656.982	127838.26
2	जखोली	667.889	3367.723	4351.768	
3	ऊखीमठ	10413.495	984.380	4758.030	
4	बसुकेदार	909.228	2093.053	2541.564	
5	कुल क्षेत्रफल जिला-रुद्रप्रयाग	19454.648	15297.696	20308.344	

ह० / -


 जिलाधिकारी
 रुद्रप्रयाग

ह० / -


 उपविभागीय वन अधिकारी
 रुद्रप्रयाग

ह० / -


 प्रयोक्ता एजेन्सी
 प्रधानाचार्य
 राजकीय पॉलीटेक्निक
 कोपरा रुद्रप्रयाग

प्रषक

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग।

सेवामे

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

संख्या- 178 / 20का-विविध / 2022-2023 दिनांक रुद्रप्रयाग 12 जनवरी, 2023।
विषय राजकीय पोलिटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय

उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय के पत्र संख्या-1346/छवीरा-24/2018-19 दिनांक 19 दिगम्बर
2022 के क्रम में तहसील रुद्रप्रयाग से चाही गई सूचना निम्न प्रकार से है-

क्र० सं०	तहसील का नाम	कुल शिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल (हे० में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (हे० में)
1	रुद्रप्रयाग	—	7464.036	8852.540	8656.982

अतः चाही गई सूचना सादर प्रेषित।

महोदय,
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग।

FN 334/FA-विधि पत्र 13(1)

12-01-2023

2/LAC

प्रेषक,

तहसीलदार
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग।

द्वारा

उप जिलाधिकारी जखोली।

संख्या :- 551/र0का0-विधि /2022

दिनांक जखोली

जनवरी 09-2023

विषय-

राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या 1345/छब्बीस-24/(2018-19) दिनांक रुद्रप्रयाग दिसम्बर 19, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा सिविल सोयम भूमि वन पंचायत, राजस्व तथा निजी भूमि का क्षेत्रफल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के कम में राजस्व निरीक्षक भरदार एवं जखोली से आख्या प्राप्त की गयी राजस्व निरीक्षक भरदार एवं बडमा से प्राप्त आख्या के आधार पर विवरण निम्नवत है।

तहसील जखोली अन्तर्गत चाही गयी भूमि का विवरण :-

तहसील का नाम	सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	वन पंचायत भूमि	राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (जिस पर कृषि अनिश्चित हों)	निजी भूमि का क्षेत्रफल
जखोली	429.162	667.889	2938.561	4351.768

अतः आख्या महोदय की सेवामें प्रेषित।

संलग्न- यथोपरि

भवदीय

महोदय,

तहसीलदार जखोली आख्या राबदर

प्रेषित।

9.1.2023
S. D. M.
(31)

तहसीलदार
जखोली

प्रेषक

तहसीलदार
ऊखीमठ।

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

संख्या - 1226 स0का0 / पौ0भू0 / (2022-23)

दिनांक ऊखीमठ फरवरी 3, 2023।

विषय:- राजकीय पोलिटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 हे० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्र सं०-1346 / छवीस-24 / 2018-19 दिनांक: 19 दिसम्बर 2022 के क्रम में आपके द्वारा जारी गयी सूचना निम्न प्रकार से है:-

स०स०	तहसील का नाम	कुल सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल(हे०में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल(हे०में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल(हे०में)
1	ऊखीमठ	-	10413.495	984.380	4758.030

अतः उक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय


तहसीलदार,
ऊखीमठ।

प्रेषक,

तहसीलदार,
बसुकेदार।

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
रुद्रप्रयाग।

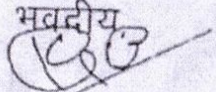
संख्या- 280 र0का0/पॉ0भू0/(2022-23) बसुकेदार दिनांक 04 फरवरी 2023
विषय- राजकीय पॉलिटैक्निक चोपता के निर्माण हेतु 2.00 है0 वन भूमि का
हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-
1345/छब्बीस-24/2018-19 दिनांक 19 दिसम्बर 2022 के क्रम में आपके द्वारा चाही गयी
सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर प्रेषित की जा रही है-

क्र0सं0	तहसील का नाम	कुल सिविल सोयम भूमि का क्षेत्रफल	कुल वन पंचायत का क्षेत्रफल (है0में)	कुल राजस्व भूमि का क्षेत्रफल (है0में)	कुल निजी भूमि का क्षेत्रफल (है0में)
1	बसुकेदार	-	909.228	2093.053	2541.564

अतः उक्तानुसार सूचना सादर सेवा में प्रेषित।

भवदीय

तहसीलदार,
बसुकेदार।

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
श्रीनगर गढ़वाल।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

देहरादून दिनांक: 22 अगस्त, 2013

विषय- जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत घोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत घोपता (तल्लानागपुर) नामक स्थान पर राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त संस्थान ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार संचालित किया जायेगा।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया ए०आई०सी०टी०ई० के मानकानुसार 15 दिन के भीतर भूमि, भवन, पाठ्यक्रम एवं पदों का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक-यथोपरि।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय के साथ प्रेषित कि पॉलीटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु शहरी क्षेत्रों में 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। अतः सम्बन्धित स्थान को दृष्टिगत रखते हुये तत्काल निःशुल्क भूमि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु।
3. अध्यक्ष, ए०आई०सी०टी०ई०, चंडी दिल्ली।
4. ए०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5. गार्ड फाइल।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रुद्रप्रयाग

आज्ञा से,

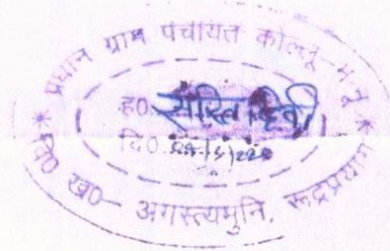
(शैलेश शर्मा)
अपर सचिव।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रुद्रप्रयाग

वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केंदारनाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु आस-पास के ग्राम स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित वन भूमि (खसरा सं० 3308 मध्ये 0.040 हे० भूमि, खसरा सं० 3391 मध्ये 0.700 हे० भूमि, खसरा सं० 4158 मध्ये 0.400 हे० भूमि, खसरा सं० 4059 मध्ये 0.860 हे० भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना संभव नहीं है ।

9/04/2022
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

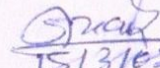


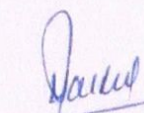
Pratt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग



वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अर्न्तगत चोपता (तल्लानागपुर) क्षेत्र में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु राजस्व क्षेत्र गैर वानिकी स्तर पर कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है व चयनित वन भूमि (खसरा सं० 3308 मध्ये 0.040 हे० भूमि, खसरा सं० 3391 मध्ये 0.700 हे० भूमि, खसरा सं० 4158 मध्ये 0400 हे० भूमि, खसरा सं० 4059 मध्ये 0.860 हे० भूमि) पर ही परियोजना का निर्माण किया जा सकता है, आवेदित 2.00 हे० वन भूमि की मांग न्यूनतम है व इसे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है । सह्यायित


15/3/22
रा. ड. 1/2
चोपता

CS

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रमाण-पत्र

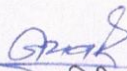
प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा के अन्तर्गत चोपता (तल्लानागपुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु अर्थात् 2.00 है० (वन सिविल भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव) के निर्माण हेतु ग्राम-कुण्डादानकोट की सिविल भूमि चयनित कि गयी है, उक्त भूमि के अतिरिक्त चयनित स्थल के आसपास ग्राम स्तरों (ग्राम-तडाग, गौरणा, कोलू-भन्नू, कुण्डा दानकोट) में उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वृक्ष विहिन भूमि उपलब्ध कराने हेतु बैठक की गयी, जिसमे उक्त परियोजना हेतु अन्यत्र उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं पायी गयी। इसके अलावा राजस्व स्तर पर भी क्षेत्र के आस पास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई।

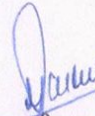
अतः उक्त परियोजना हेतु चयनित 2.00 है० सिविल भूमि की मांग न्यूनतम है व इससे कम वन भूमि पर परियोजना का निर्माण किया जाना सम्भव नहीं है।


ह०/-

प्रयोक्ता एजेन्सी

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड


राजस्व उपनिरीक्षक
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-चोपता, गौरणा
तहसील-रुद्रप्रयाग
जनपद-रुद्रप्रयाग


तहसीलदार
(रुद्रप्रयाग)


उपजिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग


जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
(रुद्रप्रयाग)

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:- जगपद रुद्रप्रयाग की कैदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत चौपता (तल्लानागापुर) में राजकीय पालीटेक्निक की स्थापना हेतु। 160 नज़्दी अर्थात् 2 हे० सित्त भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तापित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्तमान विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया।
दो विकल्प प्राप्त हेमरे। द्वितीय विकल्प अन्तिम समागमा ।

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/
प्रध प्रयोक्ता एजेन्सी
राजकीय पालीटेक्निक चौपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

नोट :- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
चौपता रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-9

परियोजना का नाम- जनपद रुद्रप्रयाग की केदारनाथ विधानसभा अन्तर्गत-चीपता
(तल्लागापुर) में राजकीय पॉलीटेक्निक की स्थापना हेतु 100माली
अर्थात् 2 हे० सिविल ब्रिज हस्तान्तरण प्रस्ताव।
विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने का कारण का
प्रमाण -पत्र

संरेखण नं०	प्रभावित वन भूमि (हे० में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई	अन्य कारण (एच.पी.बैण्ड व अन्य भू-गर्भीय कारण)
संरेखण-1	2 हे०	—	—	संयुक्त निरीक्षण में भूमि कमपायी गई।
संरेखण-2	2 हे०	11	—	संयुक्त निरीक्षण में भूमि उपयुक्त पाई गई।
संरेखण-3	—	—	—	—

प्रथम प्रस्ताव के संयुक्त निरीक्षण में भूमि मानक से कम पाई गयी।

उक्त तीनों संरेखणों में से संरेखण-2 उपयुक्त है।

उप वन संरक्षक
ह०/-
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

505/18
20/11

नोट :- यह सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न की जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार शासनादेश संख्या 790/XLI-1/2013-79/13 दिनांक 22 अगस्त 2013 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के स्थान चोपता (तल्ला नागपुर) में राजकीय पॉलिटेक्निक की स्वीकृत प्राप्त होने पर इस पॉलिटेक्निक के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राजस्व ग्राम कुण्डा दानकोट की सीमान्तर्गत सरकार केशर हिन्द नम्बर 3308,3319,4158 एवं 4059 मध्ये कुल हैक्टेयर भूमि चयनित की गयी है ।

जिलाधिकारी महोदय रुद्रप्रयाग के पत्रांक संख्या 1229/छब्बीस-12(2012-13) दिनांक 27 जनवरी 2015 के अनुपालन में आज दिनांक 12-02-2015 को चयनित भूमि का संयुक्त निरीक्षण याचक विभाग के प्रतिनिधि श्री ए0के0एस0 गौड़, प्रधानाचार्य/समन्वयक राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता (रुद्रप्रयाग) के साथ वन विभाग के प्रतिनिधि श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वन दरोगा धिमतोली, श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी राजस्व उप निरीक्षक चोपता के साथ श्री एम0एल0 भेतवाल तहसीलदार रुद्रप्रयाग द्वारा किया गया । संयुक्त निरीक्षण में चयनित भूमि प्रस्तावित प्रयोजन हेतु उपयुक्त एवं उचित पायी गयी है ।

उपरोक्त प्रस्तावित भूमि में 10 से 70 सेमी0 गोलाई के 9 पेड़ चीड़ के तथा 10 से 40 सेमी0 गोलाई के दो पेड़ सुरई के स्थित होने पाये गये । वनक्षेत्राधिकारी की रिपोर्ट की प्रति संलग्न है ।

अतः रिपोर्ट मौके पर कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

(लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी)
राजस्व उप निरीक्षक
चोपता

(राजेन्द्र सिंह नेगी)
वन दरोगा, धिमतोली

राजि0 अधिकारी
वन विभाग रुद्रप्रयाग

(एम0एल0 भेतवाल)
तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

(ए0के0एस0 गौड़)
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

प्रपत्र-4
परियोजना का नाम :- राजकीय मालीदेविना-चौपता (तल्लानगपुर) में राजकीय मालीदेविना की स्थापना
हेतु 100 साली अर्थात् 2 हे० 00 अर्थात् हस्तान्तरण प्रस्ताव ।
संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 12/2/2015 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजीव सिंह नेगी वन करीग, राजस्व विभाग की ओर से श्री लक्ष्मी प्रसाद मैथिली व न० 3 पं. नि. नि. द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वन भूमि/नाप भूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वन भूमि,X.....हे०, सिविल एवं सोयम वन भूमि, 2.00 हे०, वन पंचायत भूमि X.00 एवं नाप भूमि X.00 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण सेगाँव वजनसंख्या लाभान्वित होगी।
आवेदित वन भूमि में 1.1 वृक्षों व नाप भूमि पर X वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

ह०/-
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

ह०/-
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-
(वन विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-
(जिलाधिकारी)

ह०/-
(ग्राम प्रधान/वन प्रदायक)

ह०/-
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

ह०/-
(ग्राम प्रधान/वन प्रदायक)



नोट :- उक्त सूचना प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं के हस्ताक्षर के उपरान्त प्रस्ताव के साथ लगाई जानी है।

प्रधानाचार्य
राजकीय मालीदेविना
चौपता रुद्रप्रयाग

COMPONENT WISE LAYOUT PLAN

Proposed Land Area (2.0 Hect.) For Govt. Polytechnic Chopta, Rudraprayag.

AREA CHART					
PATCH NO 01-					
1.	Total Building-I (Phase-I) Area	1120	SQ.M	0.1120	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	9880	SQ.M	0.9880	Hect.
3.	TOTAL AREA	11000	SQ.M	1.10	Hect.
PATCH NO 02-					
1.	Indoor Sports club/Gym Area	285	SQ.M	0-0285	Hect.
2.	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	115	SQ.M	0.0115	Hect.
	TOTAL AREA	400	SQ.M	0.04	Hect.
PATCH NO 03-					
1.	Total Building-II(Phase-I) Area	1660	SQ.M	0.1660	Hect.
2.	Auditorium/Amphitheatre Area	525	SQ.M	0.0525	Hect.
3.	Additional Workshop Area	575	SQ.M	0.0575	Hect.
4	Other Area (Garden+ Playground+ Internal Road+ Surplus Area etc.)	5670	SQ.M	0.5670	Hect.
5	Multi-Purpose Hall	170	SQ.M	0.0170	Hect.
	TOTAL AREA	8600	SQ.M	0.860	Hect.
	TOTAL Are (Patch 1+2+3)	20000	SQ.M	2.00	Hect.

Total Area

20000	Sqm.	2.00	Hect.
-------	------	------	-------



Principal
Govt. Polytechnic Chopta
Rudraprayag

कार्यालय भूवैज्ञानिक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला टास्क फोर्स, चमोली एवं रुद्रप्रयाग, मुख्यालय गोपेश्वर

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज,
चोपता (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक 443 / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15

दिनांक 5 फरवरी 2015

विषय: जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

महोदय,

उपरोक्त विषयक पत्र संख्या 46 / स्था0 / नवसृजित पॉलिटेक्निक / 2014-15, दिनांक 22.12.2014, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो कि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सम्बोधित व भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली / रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल) को पृष्ठांकित है तथा उक्त पत्र पर जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग के टिप्पणी आदेश संख्या मेमो / 27-पॉ0लि0 / 27-1 (13-14), दिनांक 02.01.2015, जिसके द्वारा उपरोक्त स्थल की भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उपरोक्त स्थल का भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्पन्न कर भूगर्भीय सर्वेक्षण आख्या आपके सुलभ सन्दर्भार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

पृष्ठांक: / जि0टा0फो0 / भवन / 2014-15, तददिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग।
2. संयुक्त निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Chatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

Chatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

सहायक भूवैज्ञानिक /
प्रभारी अधिकारी।

जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चोपता (रुद्रप्रयाग) के पत्र संख्या 46/स्था0/नवसृजित पालीटेक्निक/2014-15, दिनांक 22.12.2014, जो कि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सम्बोधित व भूवैज्ञानिक, जिला टास्क फोर्स, चमोली/रुद्रप्रयाग (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल) को पृष्ठांकित है तथा उक्त पत्र पर जिलाधिकारी महोदय, रुद्रप्रयाग के टिप्पणी आदेश संख्या मैमो/27-पॉ0लि0/27-1 (13-14), दिनांक 02.01.2015, जिसके द्वारा जनपद व तहसील रुद्रप्रयाग के ग्राम कुण्डा दानकोट में पॉलिटेक्निक कॉलेज के भवनों के निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है, के अनुपालन में उक्त प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री ए0के0एस0 गौड़, प्रधानाचार्य, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज चोपता (रुद्रप्रयाग) व श्री लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी, राजस्व उपनिरीक्षक चोपता की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया। भूगर्भीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है :-

पहुँच :

प्रश्नगत स्थल ग्राम कुण्डा दानकोट, रुद्रप्रयाग-चोपता मोटर मार्ग पर रुद्रप्रयाग से चोपता 20 कि०मी० तथा चोपता से चोपता-स्वारी ग्वांस मोटर मार्ग पर, चोपता से लगभग 04 कि०मी० की दूरी पर मोटर मार्ग के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब से नीचे कच्चे मोटर मार्ग पर लगभग 500 मीटर से 100 मीटर पैदल मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ भूभाग है। प्रस्तावित खसरा संख्या 4059 वर्तमान समय में लगभग अर्द्धसमतल भूभाग के रूप में विद्यमान है।

प्रस्तावित स्थल उत्तराखण्ड सरकार की भूमि व खसरा संख्या 4059 भूमि प्रस्तावित है। उक्त के साथ पूर्व में प्रेषित भूगर्भीय निरीक्षण आख्या में उल्लिखित खसरा संख्या 3308 में 1.332 है० व खसरा संख्या 3319 मध्ये कुल 4.364 है० भूमि की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी थी जिसमें खसरा संख्या 4158, खसरा संख्या 3319 से लगा हुआ भूभाग है। अतः खसरा संख्या 4158 के अनुसार खसरा संख्या 3319 पूर्व की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या में दिये गये सुझाव एवं शर्तों के साथ भवन निर्माण हेतु विचार किया जाय।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
(रुद्रप्रयाग)

अवस्थिति :

प्रस्तावित स्थल स्वारी ग्वांस मोटर मार्ग के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब दिशा में बंजर भूभाग के रूप में अवस्थित है। स्थल के डाउनस्लोप/उत्तरपूरब दिशा में घना वन क्षेत्र अवस्थित है। स्थल के उत्तर में स्थानीय प्रजाति का घना वन क्षेत्र, दक्षिण में, चकबन्दी दीवार, पूरब में पहाड़ी ढालयुक्त लगभग 25° पूरब फेसिंग क्षेत्र तथा पश्चिम में ग्रामीणों के सीढ़ीनुमा कृषियुक्त खेत अवस्थित हैं।

भूगर्भीय स्थिति :

प्रश्नगत स्थल पर अपयुक्त अधोभूमि चट्टानें पुराने संगठित मलवे पर अवस्थित हैं। स्थल के अपस्लोप व डाउनस्लोप में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों व पोधों का सघन वन व डाउनस्लोप में बाँज प्रजाति के वृक्षों का सघन वन क्षेत्र विद्यमान है।

Shatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

स्थल में सिल्वर ऑक के वृक्षों से स्थल की मृदा में नमी दृष्टिगोचर होती है। मोटर मार्ग कटाव व रिज सतह में स्वस्थानें चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं। स्थल में मुख्यतः भूरी, गहरी भूरी व कतिपय स्थलों पर हल्की भूरी रंग की मृदा दृष्टिगोचर होती है। स्थल में किसी प्रकार का कोई प्राकृतिक व अधोभूमि जल स्रोत दृष्टिगोचर नहीं होता है।

भूगर्भीय संरचना :

प्रस्तावित स्थल में स्वस्थानें चट्टानें पहाड़ी ढाल सतह पर दृष्टिगोचर होती हैं। स्थल की सतह पर हरी भूरी, दृढ़ व मध्यम कमजोर शिष्ट प्रकृति की चट्टानें अवस्थित हैं जो कि कतिपय स्थलों पर अत्यधिक वेदर्ड अवस्था दृष्टिगोचर हो रही हैं। स्थल पर नाइसिस प्रकृति की कमजोर चट्टानें अवस्थित हैं जो कि पतली परतों व टुकड़ों में अपरदित हो रही हैं। स्वस्थानें चट्टानों के प्रसार की दिशा उत्तर 345° व नतिमान 35° उत्तर 70° दिशा में आंका गया। स्थल की स्वस्थानें चट्टानों की नतिमान की दिशा स्थल के ढाल की सुरक्षा के प्रतिकूल दृष्टिगोचर होती है।

स्थल की चट्टानें भूगर्भीय साहित्य में रामगढ़ समूह की चट्टानों में वर्गीकृत की गयी हैं। उक्त स्थल भारतीय सीजमिक मानचित्र में मध्य हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सक्रिय भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः लघु व मध्यम तथा यदाकदा अधिक तीव्रता के भूकम्पनों से स्थल सदैव प्रभावित हो सकता है।

उक्त स्थल पर भवन निर्माण हेतु निम्न शर्तों एवं सुझावों का पालन किया जाना आवश्यक होगा :

1. स्थल, वन भूमि होने की दशा में, माननीय उच्चतम न्यायालय के वन संरक्षण अधिनियम-1980 तथा पर्यावरण व पारिस्थितिकी अधिनियम-1986 के अनुरूप वन व संबन्धित विभागों से समुचित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण हेतु मान्य होगा।
2. स्थल पर भवनों की सुरक्षा हेतु निर्माण कार्य एक मंजिला सीढ़ीनुमा सोपानों में ही किया जाय।
3. उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु प्रख्यापित बिल्डिंग बाई लॉज में निहित सम्पूर्ण प्राविधानों के अनुरूप भवन निर्माण कार्य किया जाय।
4. भवन आधार, रिटेनिंग वाल व ब्रेसवाल के आधार को उचित गहराई में ताजा दृढ़ स्वस्थानें चट्टानों में रखकर अथवा उचित सिविल भूअभियांत्रिकी तकनीक के साथ स्थल पर निर्माण कार्य किया जाय।
5. भवन परिसर के सतही जल प्रवाह व अधोभूमि रिसाव को न्यून/कम करने के लिए समुचित प्रबन्ध व खुले परिसर को पक्का किया जाय।
6. सीवेज व सोकपिट से होने वाले जल रिसाव को नियन्त्रित करने के लिए सीवेज पिट को पक्का निर्मित किया जाय।
7. चूंकि स्थल हिमालयी पर्वत श्रेणियों के सक्रिय भूकम्पीय जोन-V में अवस्थित है अतः भवन निर्माण करते समय अद्यतन नवविकसित भूकम्परोधी तकनीक से भवन निर्माण कार्य किया जाय।

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
(रुद्रप्रयाग) उ.प्र.

Chatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
घोपता रुद्रप्रयाग

8. स्थल के वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज को सुरक्षित करते हुए निर्माण कार्य हेतु विचार किया जाय व साथ ही दक्षिणपूर्व में पहाड़ी ढाल पर कटाव न किया जाय।
9. भवन आधार की खुदायी के समय विस्फोटकों का प्रयोग वर्जनीय होगा।
10. स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता के अनुरूप किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्थल की भार ग्राह्यता क्षमता में सेफ्टी फेक्टर के समाकलन के उपरान्त भवन आधार खुदाई व भवन डिजाइनिंग की जाय।
11. स्थल पर अनियोजित मानवीय कार्यकलाप से स्थल का वर्तमान एंगिल ऑफ रिपोज परिवर्तित न किया जाय।
12. चूंकि उक्त क्षेत्रान्तर्गत शीतकाल के दौरान स्थल यदाकदा हिमान्छादित हो जाता है अतः भवन छत को ढालदार निर्मित किया जाय।
13. स्थल के सतही एवं अधोभूमि जल रिसाव को कम करने के लिये स्थल के सतही जल प्रवाह को पक्की लीनियर नालियों द्वारा एकत्रित कर दूर किसी सुरक्षित स्थल में छोड़ा जाय।

प्रस्तावित स्थल पर एकत्रित किये गये सतही आंकड़ों, भूआकृति, भूप्रकृति एवं भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से उपरोक्त सुझाव व शर्तों के साथ प्राकृतिक आपदाओं को छोड़कर स्थल वर्तमान परिस्थितियों में एक मंजिला भवन निर्माण हेतु उपयुक्त समझा जाता है।

(अमित गौरव)
सहायक भूवैज्ञानिक

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

Chatt
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी जगसुभनी वन क्षेत्र

पत्रांक 260 112 दिनांक 23-10-2015

सेवा में,

प्रधानाचार्य

राजकीय पार्लैटैकनिक चौपता

रूपपुयाग

विषय - विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण,

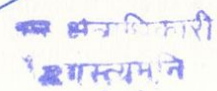
महोदय,

आप द्वारा विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है, आप द्वारा वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन किया गया है, जब कि निर्माण कार्य को इस राजी के वन दरोगा श्री राजेन्द्र सिंह नेगी द्वारा भी रोका गया था, परन्तु फिर भी आपने निर्माण कार्य विना भूमि हस्तान्तरण के किया जा रहा है।

अतः आप स्पष्ट करें कि आप द्वारा वन पंजायत भूमि पर विना पूर्व स्वीकृति के क्यों भवन निर्माण किया गया है


वन क्षेत्राधिकारी
जगसुभनी

प्रतीक्षित - प्रमाण उप वन संरक्षक रूपपुयाग वन पत्राण की सेवा में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,


वन क्षेत्राधिकारी
जगसुभनी

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड
श्रीनगर (गढ़वाल)

पत्रांक 340/ भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015-16/ दिनांक 7/10/2015

विषय - नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु भूमि हस्तांतरण कराये जाने विषयक ।

महोदय,

नव सृजित राजकीय पालिटेक्निक चोपता हेतु प्रस्तावित भूमि का भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नोडल कार्यालय वन संरक्षण एवं भूमि सर्वेक्षण निदेशालय जलागम फारेस्ट कालोनी देहरादून के यहाँ से दिनांक 29/09/2015 को उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग को अगली कार्यवाही हेतु आन लाइन भेजा जा चुका है । महोदय 3/10/2015 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उप वनसंरक्षक वनप्रभाग रुद्रप्रयाग से भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में मुलाकात की गयी मुलाकात के वक्त उपवन संरक्षक वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के द्वारा भूमि, विभाग को हस्तान्तरित होने से पूर्व निर्माण कार्य कराये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी तथा उनके द्वारा कहा गया कि "प्रस्तावित भूमि के सम्बन्ध में वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी"।

महोदय प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व निर्माण कार्य न कराये जाने के सम्बन्ध में /अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में संस्था के पत्रांक 92 दिनांक 2/03/2015, 101 दिनांक 20/3/2015, 139-A दिनांक 12/05/2015, 143 दिनांक 15/05/2015, 224 दिनांक 8/07/2015 द्वारा आपको व प्रोजेक्टर मेनेजर उ0प्र0 निर्माण निगम लि0 यूनिट -1 देहरादून को पूर्व में अवगत कराया जा चुका है था परन्तु निर्माण एजेन्सी द्वारा न ही निर्माण कार्य रोकें गया और न ही निर्माण कार्य रोकने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गयी

महोदय यदि इन स्थितियों में यदि भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है /भूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है तो अद्योहस्ताक्षरी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, हालांकि अद्योहस्ताक्षरी सम्बन्धित अधिकारी व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के सम्पर्क में है तथा

उपरोक्त के सम्बन्ध में समाधान निकालने का प्रयास किये जा रहा है ताकि भूमि हस्तान्तरण की अगली प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जा सके ।



प्रधानाचार्य

ए०के०एस०गौड

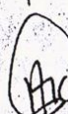
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
प्रधानाचार्य

राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

पत्रांक 341-342 / भूमि हस्तान्तरण विषयक / 2015-16 / दिनांक

प्रतिलिपि -1 प्रोजेक्ट मैनेजर उ०प्र० निर्माण निगम लि० यूनिट -1 देहरादून ।

2 नोडल कार्यालय भूमि-भवन राजकीय पालिटेक्निक आमवाला देहरादून ।



प्रधानाचार्य

ए०के०एस०गौड

राजकीय पालिटेक्निक चोपता
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड


प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

o/c

प्रेषक:- प्रधानाचार्य

राजकीय पालीटेक्निक चोपता

(रुद्रप्रयाग)

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०

यूनिट-1 देहरादून

पत्रांक:- 101 / प्रशा०- निर्माण विषयक / 2014-15 / दिनांक 20/3/2015
महोदय,

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में आया है कि नवसृजित राजकीय पालीटेक्निक चोपता प्रस्तावित भूखण्डों पर आप द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जबकि प्रस्तावित भूमि अभी संस्था को हस्तान्तरित नहीं हो पायी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जब तक संस्था को भूमि हस्तान्तरित नहीं हो जाय तब तक निर्माण कार्य स्थगित रखें।

प्रतिलिपि:- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा श्रीनगर (गढ़वाल)


प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

0/c


(ए०के०एस०गौड़)
प्रधानाचार्य
राजकीय पालीटेक्निक चोपता
राजकीय पालीटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) रुद्रप्रयाग

प्रेषक,

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग)

सेवा में,

प्रोजेक्ट मैनेजर
उ०प्र० निर्माण निगम लि०
यूनिट -1 देहरादून

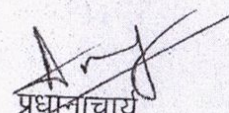
पत्रांक 362/- भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015-16/ दिनांक 2/11/15
विषय- विना भूमि हस्तान्तरण के भवन निर्माण कार्य रोके जाने विषयक ।

महोदय,

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी अगस्त्यमुनि वन क्षेत्र के पत्रांक 260/12 दिनांक 23/10/2015(पत्र की फोटो प्रति संलग्नक) के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप द्वारा प्रस्तावित भूमि पर भूमि हस्तान्तरण से पूर्व भवन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जो कि वन संरक्षक अधिनियम 1980 का उल्लंघन है पूर्व में भी आपको कार्यालय राजकीय पालिटेक्निक चोपता के पत्रांक संख्या 341/भूमि हस्तान्तरण विषयक/2015-16/दिनांक 7/10/2015 द्वारा अवगत कराया जा चुका है ।

अतः प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य तुरन्त रोक दिया जाये तथा प्रस्तावित भूमि विभाग को हस्तान्तरित होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये ।

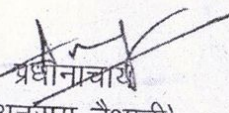
संलग्नक -उपरोक्तानुसार ।


प्रधानाचार्य

(अनुराग नैथानी)

राजकीय पालिटेक्निक चोपता
रुद्रप्रयाग

पृ०स० 363/ भूमि हस्तान्तरण विषयक/ 2015-16/ दिनांक 2/11/15
प्रतिलिपि - निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड श्रीनगर गढ़वाल को सूचनार्थ ।


प्रधानाचार्य

(अनुराग नैथानी)

राजकीय पालिटेक्निक चोपता
राजकीय पालिटेक्निक चोपता
(रुद्रप्रयाग) उत्तराखण्ड

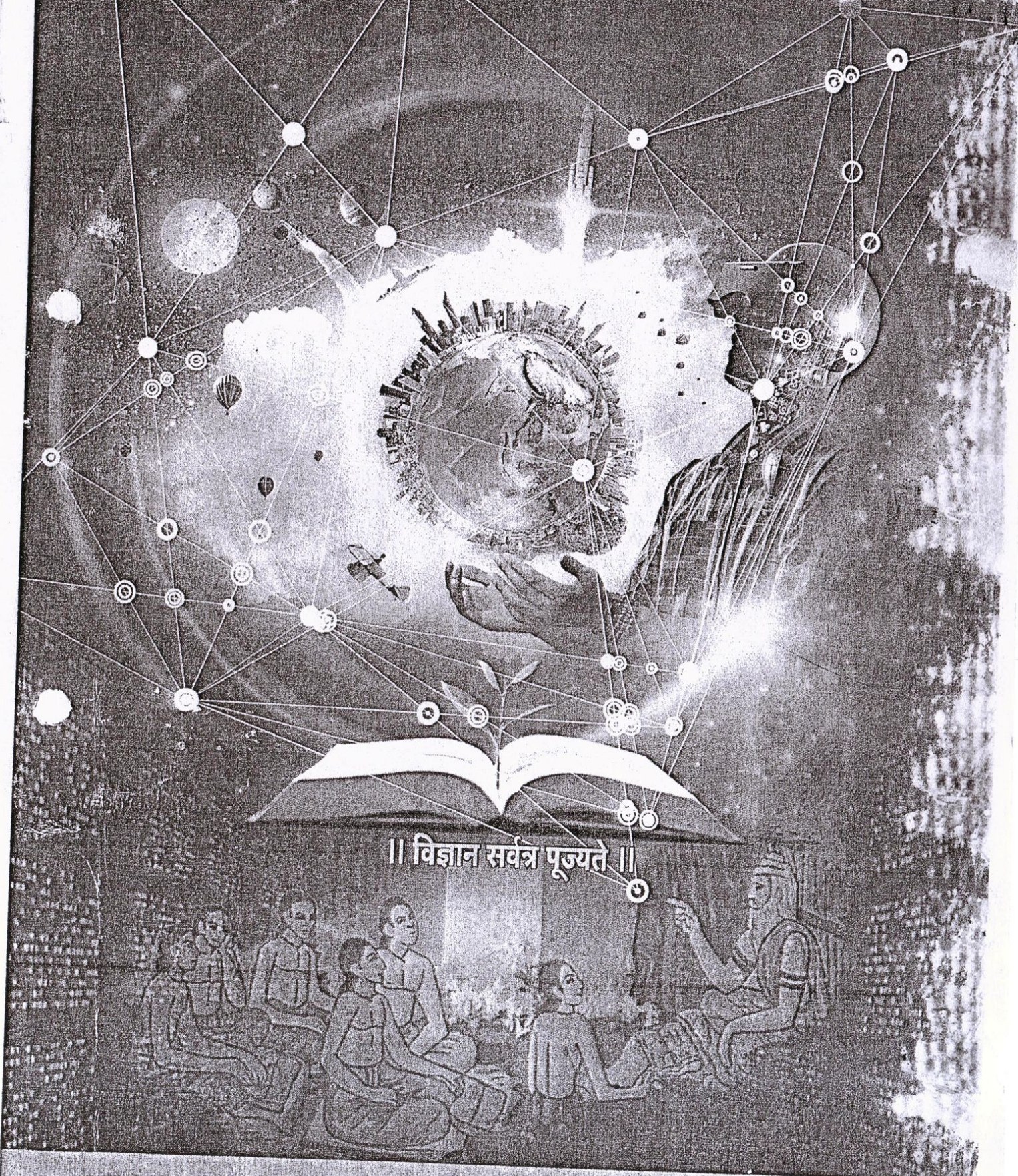

प्रधानाचार्य
राजकीय पालिटेक्निक
चोपता रुद्रप्रयाग

O/c

75
आजादी का
अमृत महोत्सव

ALL INDIA COUNCIL FOR
TECHNICAL EDUCATION

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद



॥ विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ॥

APPROVAL PROCESS HANDBOOK

2022

INDEX

Chapter	Contents	Page No.
	Foreword	ii
	Abbreviations	vii
	Definitions	xi
	Preamble	xv
I	Grant of Approval through online application for Setting up a New Technical Institution offering a Technical Programme at Diploma/ Post Diploma Certificate/ Under Graduate Degree/ Post Graduate Diploma/Post Graduate Degree Level	1
II	Grant of Approval through the online application for the following: - Extension of Approval based on Self-Disclosure - Introduction/ Continuation of seats for Non Resident Indian(s) - Change of Site/Location - Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa - To start new Programme/ Level in the existing Institutions - Merger of Institutions under the same Trust/ Society/ Company operating in the same Campus or Same City - Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year/ Restoration of Intake - Introduction/ Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals/ Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries - Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice- versa - Increase in Intake/ Additional Course(s) - Introduction of Integrated/Dual Course - Closure of the Institution - Introduction/ Continuation of Fellow Programme in Management - Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s)/Course(s) - Change in the Name of the Institution or affiliating University/ Board or Type of Institution (Institution(s) converted into a University) - Change in the Minority Status of the Institution - Change in the Name of the Bank - Change in the Name of the Trust/ Society/Company - Extended EoA	13
III	Grant of Approval for Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University/ Institution in the field of Technical Education, Research and Training	42
IV	Grant of Approval through online application for the University/ Institutions Deemed to be University.	45
V	Grant of Approval for Standalone Institutions/ Institutions Deemed to be Universities through the online application for Open and Distance Learning Education and online Education	53
VI	Grant of Approval through online application for Vocational Education Courses under NSQF	64
VII	Norms and Requirements	69
VIII	Penal Action in case of Violations of the Regulations/ Approval Process Handbook	82

प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
चोपता रायप्रयाग

Instead of major changes, attempts have been made in this Approval Process Handbook 2022-23 to consolidate and refine the guidelines which are already there so that process of evaluation of applications of the institutions become hassle free. AICTE assures to all the stakeholders that it will continue to be a facilitator taking care of changing needs of all concerned and hope that with concerted effort of all concerned, quality of technical education in India will reach a new pinnacle during coming days.

This handbook is an attempt to provide comprehensive information on the fair and rational system of administration as well as other necessary information on the processes involved under the aegis of AICTE. The emphasis on e-governance to ensure transparency and accountability, and implementing a tech-savvy approach to enable faster processing and clearly defining the Infrastructural norms in Institutions are just a few pointers towards AICTE's efforts at fostering a technical education system which is on par with the best institutions in the world.

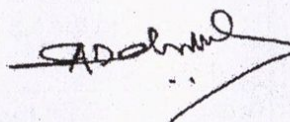
The slogan of this year is "Vigyan Sarvatra Pujiyate" means science is revered all over and will display our scientific legacy and technology prowess that have helped find solutions to problems in defence, space, healthcare, agriculture, astronomy, and others. Society should respect and revere science and the scientific community, and this would be possible only through constant interactions between the scientific community with the public. If this happens, it will indeed create a new stronger India that can address the challenges humanity may encounter in the near future, especially in sharing the resources essential for maintaining healthy life on this planet.

Swami Vivekananda said, "Education is the manifestation of the perfection already in man". In keeping with this objective, apart from regulatory role, AICTE shall continue to strive to be a true mentor, facilitator and enabler in bringing out the best in each Institution. We hope all the education partners/stakeholders of technical education shall also put in their best and make team India proud and make "Atmanirbhar Bharat" a reality.

योग: कर्मसु कौशलम्

(Excellence in action is Yoga)


प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
दोपता रायपुर



Prof. Anil D. Sahasrabudhe
Chairman, AICTE

APPENDIX-4

Norms for Land and Built-up Area Requirements of the Technical Institutions

4.1 Land Requirements for the Technical Institutions

Programme	Land Area requirement in Acre								
	Diploma/ Post Diploma Programmes			Under Graduate Programmes			Institutions offering ONLY Post Graduate Programmes (MCA/ Post Graduate Diploma/ MBA)		
	Mega and Metro*	Urban	Rural	Mega and Metro*	Urban	Rural	Mega and Metro*	Urban	Rural
Engineering and Technology	\$	1.5	4.0	\$	2.5 [#]	7.5 [#]	-	-	-
Planning	-	-	-	\$	1.0	2.0	-	-	-
Applied Arts and Crafts	\$	0.5	1.5	\$	0.5	1.5	-	-	-
Design	\$	1.0	2.0	\$	1.0	2.0	-	-	-
Hotel Management and Catering Technology	\$	1.0	2.0	\$	1.0	2.0	-	-	-
MCA	-	-	-	-	-	-	\$	0.5	1.0
Management	-	-	-	-	-	-	\$	0.5	1.0

* Mega and Metro Cities: Greater Mumbai (UA), Delhi (UA) and Kolkata (UA), Chennai (UA) Bangalore (UA), Hyderabad (UA), Ahmedabad (UA), Pune (UA), Surat (UA) as per the Census of India 2011

\$ For the Land area requirements the following conditions need to be adhered:

- The Built-up area requirements as specified in the Approval Process Handbook (which is in force) are adhered to.
- The Built-up area, achieved has to be approved by the concerned Development Authority as per the latest Building Bye-Laws (Development Controls) in that City. A copy of certified Building Bye-Laws be made available by the Applicant Institution. Copy of the approved Plan from local statutory body and the completion Plan along with the Completion Certificate from the same body, be also provided. The provisional Occupancy Certificate shall be considered only for 2 consecutive Academic Years; after two years the only afore-mentioned Completion Certificate and Completion Plan shall be considered for continuance of approval.
- Fire and life Safety Certificate from Fire Department of the concerned State is to be taken before submitting the application at AICTE.
- Additional Course(s)/Programme(s), in future can be allowed subject to the availability of Built-up areas as per FSI (FAR). However, if the additional construction is to be undertaken in the existing Building, then Structural Stability Certificate and Certificate of Safe Foundation to be provided by a Structural Engineer having a Master's Degree with specialization in Structural Engineering.
- Competent Authority has to certify that the place is located in Mega and Metro/ Urban/ Rural areas.
- The Land area required in the Mega and Metro Cities shall be calculated on the basis of the requirements as per AICTE norms for carpet area and the Municipal Corporation Bye-Laws.

धत्त
प्रधानाचार्य
राजकीय पॉलीटेक्निक
बोपता रुद्रप्रयाग